International Journal of Advanced Educational Research
www.multidisciplinaryjournals.org
ISSN: 2455-6157
Received: 01-03-2023, Accepted: 16-03-2023, Published: 31-03-2023
Volume 8, Issue 1, 2023, Page No. 31-36

भारत में महिलाओं के अधिकार और लैंगिक न्याय

डॉ. दलपत सिंह[1], ममता राठी[2]
[1] सहायक आचार्य, विधि संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान भारत
[2] शोधार्थी, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
भारत में लैंगिक न्याय की धारणा कोई नई घटना नहीं है। महिलाओं को उनके जीवन के हर पहलू में लैंगिक असमानता और मतभेदों के अधीन किया गया है। आधुनिकीकरण के दौर में आज भी महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर कई क्षेत्रों में असमानता का शिकार होते हैं और अभी भी यौन उत्पीड़न, जबरन वेश्यावृत्ति, दहेज, और कई अन्य मुद्दों का सामना करते हैं। भारत का संविधान न केवल असमानताओं को दूर करता है बल्कि महिलाओं को विशेष दर्जा भी प्रदान करता है और विभिन्न अवसरों के माध्यम से समाज में प्रमुख महिलाओं को लाने के लिए विभिन्न सशक्त प्रावधान प्रदान करता है। इसके अलावा, भारत में कई कानून हैं जिनका उद्देश्य न केवल असमानताओं को दूर करना है बल्कि विभिन्न उदाहरणों के तहत भेदभाव के अपराधियों को दंडित करना भी है। यह लेख भारत में लैंगिक न्याय से संबंधित कानूनों का विश्लेषण करता है। यह लेख लैंगिक समानता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान का मूल्यांकन करने और समाज में महिलाओं और तीसरे लिंग के सामने आने वाले सामान्य मुद्दों और समस्याओं का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। शोधकर्ता ने इस लैंगिक समानता में सुधार लाने और भारतीय लोगों के लिए सम्मानजनक स्थिति का विपणन करने के लिए कुछ प्रासंगिक रणनीतियों और नीतियों के निहितार्थ का प्रस्ताव करने का प्रयास किया है जो लिंग पूर्वाग्रह का विषय बन गए हैं।

मूल शब्दः लिंग, न्याय, समानता, महिलाओं के अधिकार, कानूनी सुरक्षा

आधुनिक युग में हम हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका देखते हैं। यह मिथक कि कुछ क्षेत्र केवल पुरुषों के लिए थे, महिलाओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। महिलाएं हर क्षेत्र में अधिक जीवंत, गतिशील, ईमानदार और परिपूर्ण साबित हुई हैं। वे अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य में खुद को पूरी तरह से विसर्जित करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें देश के आर्थिक विकास में भागीदारी की अधिक गुंजाइश देने के लिए, सरकार ने महिला समृद्धि योजना, महिला विकास निगम और प्रगतिशील श्री निधि बैंक आदि जैसे कुछ कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर महिला साक्षरता बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हम महिलाओं के इतिहास में एक महान क्रांति के बीच में हैं। सबूत हर जगह हैय संसद, अदालतों और गलियों में महिलाओं की आवाज तेजी से सुनी जा रही है। दुर्भाग्य से, इस देश में महिलाएं निरक्षरता और दमनकारी परंपरा के कारण अपने अधिकारों से अनजान हैं।

महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कानून का एक महत्त्वपूर्ण खंड है, जिसकी लगातार जांच की जा रही है और महिलाओं के अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। यह देखा गया है कि बलात्कार, दहेज, यौन उत्पीड़न और वेश्यावृत्ति से संबंधित अपराधों में कई विधायी परिवर्तन किए गए हैं। इस संबंध में, अदालतों ने आपराधिक न्यायशास्त्र के विकास में भी योगदान दिया है, लेकिन महिलाओं की उम्मीदों पर नहीं, बड़े पैमाने पर। कानून जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के करीब हैय इसलिए आपराधिक कानून में विकास हमेशा लोकप्रिय ध्यान आकर्षित करता है और समाज में विविध प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करता है। इसी तरह, आपराधिक प्रक्रिया में शामिल महिलाएँ कई तरह की अक्षमताओं से पीड़ित हैं जो संवैधानिक चुनौतियों और अन्यथा के माध्यम से न्यायिक जांच के लिए सामने आई हैं। अदालतों के विभिन्न निर्णय और विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशें आपराधिक कानून और उसके प्रशासन में लिंगवादी पूर्वाग्रह के अस्तित्व का संकेत देती हैं। दहेज निषेध अधिनियम, सती निषेध अधिनियम, महिलाओं की अवैध तस्करी आदि जैसे कानून मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। कुछ मामलों में जहां महिलाएं भी अपराध करने में शामिल होती हैं, वे कानून की नजर में दंडनीय नहीं हैं। उदाहरण के लिए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 सजा का प्रावधान करता है लेकिन यह छूट देता है कि किसी भी महिला को दंडित नहीं किया जाएगाय भारतीय दंड संहिता की धारा 497 एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ व्यभिचार करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाती है, लेकिन व्यभिचारी पत्नी को इस प्रावधान के दायरे से बाहर रखती हैय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए और 113 बीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174य आदि। लेकिन एक क्रांतिकारी प्रस्थान में, भारतीय दंड संहिता में स्थापित कानून से, मलिमठ समिति ने व्यभिचार करने के लिए महिलाओं पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की, यह सुझाव देते हुए कि व्यभिचार की स्थिति में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान स्तर पर व्यवहार किया जाना चाहिए। वास्तव में पांचवें विधि आयोग ने भी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में इस तरह के संशोधन की सिफारिश की थी लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया था।

भारत में सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य लिंग के आधार पर भेदभाव और शोषण को समाप्त करना और विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में महिलाओं का एकीकरण करना है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को मानता है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक स्थान तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यद्यपि कानून और न्यायिक निर्णय केवल सामाजिक परिवर्तन की दिशा निर्धारित नहीं करते हैं, वे सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति के अधिकारों, कर्त्तव्यों और क्षमताओं को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, कानून के समक्ष समानता महिलाओं की पूर्ण क्षमता को पूर्ण विकास के प्रयास में भागीदार के रूप में विकसित करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। परिवर्तन अदालत के फैसले में परिलक्षित होता है कि एक महिला भले ही वह दूसरी पत्नी है, भरण–पोषण की हकदार है और उसकी शादी कानून की नजर में शून्य है और विवाह के संबंध में केवल प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की संतुष्टि हो सकती है। पत्नी को भरण–पोषण का अधिकार दें।

आजादी के बाद की अवधि से पहले

सती के नाम पर महिलाओं की बेरहमी से हत्या की जाती थी। इसके अलावा, बाल विवाह और वेश्यावृत्ति की प्रथा सामाजिक जीवन का हिस्सा थी और सदियों से महिलाओं की कोई आवाज नहीं थी। समाज में लिंग असमानता को काफी हद तक पाया जाना था और लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों में महिलाओं का शिकार करना शुरू कर दिया। वे भारत में विभिन्न परंपराओं और रीति–रिवाजों के तहत बलि का बकरा बने रहे। महिलाओं की भूमिका बच्चों के पालन–पोषण और पालन–पोषण के साथ–साथ रसोई के काम तक ही सीमित थी। वह आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की हकदार नहीं थी। अधिकांश समय बालिकाओं के साथ भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के संदर्भ में भेदभाव किया जाता था। आम तौर पर, महिला खाने के लिए परिवार में आखिरी व्यक्ति थी। वैसे तो वह हर तरह के नौकरशाही के काम करती थी लेकिन उसके काम का कोई सम्मान नहीं था। उनका काम ज्यादातर कृषि कार्य (श्रम गतिविधि) और असंगठित गतिविधियों से संबंधित था। भारत की जनगणना ने काफी लंबे समय तक देश में आर्थिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों की संख्या की गणना करते हुए उनके काम पर विचार नहीं किया। लिंगानुपात भी महिलाओं के लिए प्रतिकूल था और समय के साथ इसमें गिरावट आई है।

महिलाओं में साक्षरता दर अभी भी कम है। हाल के दिनों तक भारत में महिलाओं के लिए जीवन की अपेक्षा कम रही है। महिलाओं के लिए निर्णय लेने वाली संस्थाओं के लिए अवसर और पहुंच अभी तक सही नहीं है। बहुत सारे विकास कार्यक्रम हुए हैं जहाँ महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति दी जाए तो वे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन महिलाओं के सक्रिय रूप से भाग लेने या कुछ संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण रखने से महिलाओं के तरीकों में बाधा उत्पन्न हुई है जो अन्यथा संसाधनों के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। यह दृढ़ता से माना जाता है कि एक पुरुष के पास संसाधनों का स्वामित्व हो सकता है और कोई भी महिला हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस तरह के प्रतिबंधों ने एक महिला को बहुत पीछे छोड़ दिया है, हालांकि वह मुख्य रूप से कृषि में भाग लेती है।

लैंगिक असमानता ने अब महिलाओं के जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाले समाज को त्रस्त कर दिया है। कार्यक्रम संरचनाओं में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी और हस्तक्षेप के माध्यम से लिंग संतुलन तक पहुंच सकता है। जिन कार्यों को पुरुषों के लिए माना जाता है, उन्हें महिलाएं भी अच्छी तरह से कर सकती हैं। महिलाएं पुरुषों के प्रति मानी जाने वाली सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए काफी योग्य और कुशल हैं। वे अपनी सभी गतिविधियाँ करते हैं, अपने आदमियों के साथ खेत में जाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें केवल मजदूर के रूप में पहचाना जाता है। महिलाओं के लिए स्वामित्व और उन संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है जो अंततः महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। इसलिए लैंगिक असमानता के मुद्दों से निपटा जाना चाहिए और बड़े समाज के सामने जोर से बोलना चाहिए। भूमि, संपत्ति, धन के स्वामित्व तक उनकी पहुंच, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए कौशल का उन्नयन, समानता और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य अवसरों को प्रदान करने की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में महिलाओं की स्थिति

हमारे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर दोहरा मापदंड कायम है। एक ओर तो उसे अच्छे और महान के रूप में देखा जाता है, लेकिन दूसरी ओर, उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से बुरा और अपक्षयी माना जाता है। यद्यपि एक महिला को उसके प्रजनन कार्यों के कारण सम्मानित किया जाता है, फिर भी उसे उसके लिंग के लिए एक अभिशाप माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति सदियों से इतनी अच्छी कभी नहीं रही। पारंपरिक सामाजिक मानदंड उनके सामान्य विकास में बाधा बन गए और उनके व्यक्तित्व को बेहतर तरीके से बनाने में बाधा बन गए।

बेशक, आज महिलाएं भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित समाज में अपने अधिकारों और पदों से अवगत हैं और वास्तव में, स्वतंत्रता के बाद के युग में उनके विकास को लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संबंध में समाज सुधारकों की भूमिका उल्लेखनीय है। उनके नेक प्रयासों ने निस्संदेह भारत में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास को गति दी। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्या सागर, केशव चंद्र सेन, न्यायमूर्ति रानाडे, कुनुदुकुरी वीरसलिंगम, स्वामी दयानंद सरस्वती कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने महिलाओं की भलाई के लिए कड़ी मेहनत की। इसके अलावा, पंडित रमाबाई और स्वर्णलता देवी जैसी कुछ महिला सुधारक भी थीं जो विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक कल्याण के लिए काम करने के लिए आगे आईं।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि के प्रारंभिक चरण में बाल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा, महिला शिक्षा पर प्रतिबंध आदि जैसी सामाजिक बुराइयों में कुछ सुधार हुए। नतीजतन, महिलाओं ने सामाजिक आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया, जिसने उनके क्षेत्र को उनके घरेलू क्षेत्र से आगे बढ़ाया। भारत के इतिहास में 15 दिसम्बर 1917 को एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी। जब सरोजिनी नायडू ने भारत के तत्कालीन वायसराय एडविन मोंटेग से मुलाकात की, क्योंकि उन्होंने उस समय की जानी–मानी महिलाओं के एक अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ताकि उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह निस्संदेह भारत के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी, जो महिला भारतीय संघ के बैनर तले महिला अधिकार आंदोलन की ओर ले जाने वाली महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण के लिए की गई थी। समय के साथ, स्वतंत्रता आंदोलन के सभी चरणों में महिलाओं की भागीदारी में पुरुषों के साथ समान रूप से लगातार वृद्धि हुई। आंदोलन के दौरान, उन्होंने अपने सभी सुख–सुविधाओं, स्वास्थ्य और धन का त्याग कर दिया और अपने समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े।

हालाँकि, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कुछ हद तक बढ़ी, लेकिन बाद में महिलाएं फिर से अपने घरों और परिवारों में वापस चली गईं, पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मांसपेशियों और धन शक्ति के कारण। हालांकि, 1970 के दशक के बाद से नारीवादी आंदोलन के कारण महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इसके अलावा, स्थानीय निकायों में 1ध्3 सीटों को आरक्षित करने वाले भारत के संविधान में संशोधन ने बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीति में लाने में मदद की। इसके माध्यम से मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की आशा की जाती है। इसके अलावा, सरकारी नीतियों और गैर–सरकारी संगठनों की गतिविधियों ने विकास के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी को प्रोत्साहित किया। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय महिलाएं समानता से कल्याण की ओर, फिर विकास की ओर और बाद में सशक्तिकरण की ओर बढ़ीं। महिला सशक्तिकरण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं की विभिन्न छवियों के माध्यम से निरंतर भागीदारी देखी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महिला संगठनों के हस्तक्षेप के कारण स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान विभिन्न महिला संबंधित कानून पारित किए गए जिससे भारत में लिंग समानता में सुधार हुआ। 1994 के बाद लैंगिक मुद्दों में एक आदर्श बदलाव आया है और अब नीति निर्माण में केंद्रीय

ध्यान दिया जाता था। 1994 के बाद लैंगिक मुद्दों में एक आदर्श बदलाव आया थाः
(अ) जनसंख्या और विकास पर 1994 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने लिंग के मुद्दों को चर्चा के केंद्र में रखा (यूएन 1995)।
(ब) शारीरिक हिंसा के खिलाफ हस्तक्षेप और पति द्वारा शारीरिक जरूरतों का प्रावधान सबसे सकारात्मक घटनाक्रम रहा है, यानी शारीरिक हिंसा के लिए आईपीसी की धारा 498 ए और भरण–पोषण के लिए धारा 125।

लिंग से जुड़े मुद्दों को सैद्धांतिक रूप से प्रेरित किया जाता है। जैसा कि श्री एन सुधाकर राव कहते हैंः ''

महिलाओं के हितों के संरक्षण सम्बन्धी कानून

1. हिंदू विवाह अधिनियम 1955
यह अधिनियम महिलाओं को तलाक और पुनर्विवाह के समान अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिनियम बहुविवाह, बहुपतित्व और बाल विवाह पर रोक लगाता है। यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान प्रदान करता है इसने इस अधिनियम में निर्दिष्ट कुछ आधारों पर एकाधिकार और तलाक की शुरुआत की। यह विवाह और तलाक के संबंध में भारतीय पुरुष और महिला को समान अधिकार प्रदान करता है।

2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
यह अधिनियम महिलाओं को माता–पिता की संपत्ति पर अधिकार और दावा प्रदान करता है। यह अधिनियम प्रावधान प्रदान करता है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।

3. हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956
यह निःसंतान महिला को बच्चे को गोद लेने का अधिकार प्रदान करता है और तलाकशुदा महिला को अपने पति से भरण–पोषण का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है।

4. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
यह महिलाओं को अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह का अधिकार प्रदान करता है और केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के लिए ही अनुमति है।

5. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
यह दहेज लेने को एक गैरकानूनी गतिविधि घोषित करके महिलाओं को शोषण से बचाता है। यह अधिनियम शादी से पहले या शादी के बाद किसी भी समय दहेज लेने या देने पर रोक लगाता है।

6. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है)
समान पारिश्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कामकाजी महिलाओं के वेतन या मजदूरी के मामले में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कामकाजी महिलाओं को समान वेतन पाने का अधिकार है।

7. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013)
यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, चाहे संगठित हो या असंगठित, सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है।

8. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005)
यह अधिनियम महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक व्यापक कानून है। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्व्यवहार करने वाले के साथ संबंध में हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा के अधीन हैं – शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक।

9. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (1956)
यह कानून महिलाओं और लड़कियों के जीवनयापन के एक संगठित साधन के रूप में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया है।

10. महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम (1986)
यह विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग, आंकड़े या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है।

11. सती निवारण (रोकथाम) अधिनियम (1987)
यह सती प्रथा को रोकने और महिलाओं पर इसके महिमामंडन का प्रावधान करता है।

12. मातृत्व लाभ अधिनियम (1961)
यह कुछ प्रतिष्ठानों में बच्चे के जन्म से पहले या बाद में निश्चित अवधि के लिए महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है और मातृत्व लाभ और चिकित्सा प्रदान करता है।

13. गर्भावस्था की समाप्ति अधिनियम (1971)
यह अधिनियम मानवीय और चिकित्सा आधार पर पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों द्वारा कुछ गर्भधारण को समाप्त करने का प्रावधान करता है।

14. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम (1994)
यह अधिनियम गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन को प्रतिबंधित करता है और कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग निर्धारण के लिए दुरुपयोग या प्रसव पूर्व निदान तकनीकों को रोकता है।

15. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (1986)
यह उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जिनका अपने पतिं से तलाक हो चुका है या उन्होंने तलाक ले लिया है।

16. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम (1872)
इसमें ईसाई समुदाय के बीच विवाह और तलाक से संबंधित कुछ प्रावधान हैं।

17. भारतीय दंड संहिता (1860)
इसमें भारतीय महिलाओं को दहेज हत्या, बलात्कार, अपहरण, क्रूरता और अन्य अपराधों से बचाने के प्रावधान हैं।

18. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973)
इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान हैं जैसे किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी का भरण–पोषण करने की बाध्यता, महिला पुलिस द्वारा महिला की गिरफ्तारी आदि।

19. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987)
यह भारतीय महिलाओं को मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रावधान प्रदान करता है।

20. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948)
यह पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच और विभिन्न न्यूनतम मजदूरी के बीच भेदभाव की अनुमति नहीं देता है।

21. खान अधिनियम (1952) और कारखाना अधिनियम (1948)
यह शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यह उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रावधान प्रदान करता है।

22. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990)
यह महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों के अध्ययन और निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना प्रदान करता है।

महिलाओं को समान अवसर
भारतीय संविधान निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है–

समानता का अधिकार
संविधान महिलाओं सहित अपने सभी नागरिकों को समानता सुनिश्चित करता है (अनुच्छेद 14)। यह भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है जो महिलाओं को भी समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनों के अवलोकन के लिए भी रास्ता बनाता है।

अनुच्छेद 15
यह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए अलग–अलग प्रावधान करने की अनुमति देता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ग, पंथ, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 15(1)
राज्य भारत के किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1), राज्य को महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने में सक्षम बनाता है अनुच्छेद 15 (3),। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल जाति, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
अनुच्छेद 15 के दूसरे प्रावधान के अनुसार, किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी विकलांगता, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा–
मुद्दे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य आयामों पर महिलाओं के संदर्भ में लिंग अंतर की ओर इशारा करते हैं''। आजकल ऐसे मुद्दे सभी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। नारीवाद की लोकप्रियता के बाद से, लैंगिक मुद्दों पर बहुत चर्चा हुई है और लगातार एक महत्त्वपूर्ण बौद्धिक प्रामाणिकता प्राप्त हुई है।

महिलाओं से संबंधित मौलिक अधिकार
संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 भारत के संविधान के भीतर मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान हैं। न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार ''ये मौलिक अधिकार देश के लोगों द्वारा पोषित मूल मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के वैदिक काल से और इनकी गणना व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने और ऐसी परिस्थितियाँ बनाने के लिए की जाती है जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।''
संविधान के कुछ अनुच्छेदों में महिलाओं के साथ भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। भारत के संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग आदि के किसी भी भेदभाव के बिना मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के अनुसार, राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी नागरिकों को अधिकार होगा

1. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए
2. शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होना।
3. समुदाय या संघ बनाने के लिए।
4. भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए
5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने के लिए और
6. किसी भी पेशे का अभ्यास करना, या कोई व्यवसाय, व्यापार और व्यवसाय करना।
7. ये छह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं हैं। ये स्वतंत्रता संविधान द्वारा ही खंड (2) (6) में प्रतिबंधित है। ये प्रतिबंध राज्य द्वारा लगाए जा सकते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी का आधार बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

लैंगिक न्याय और भारत का संविधान
एक संविधान का अर्थ है एक विशेष कानूनी पवित्रता वाला एक दस्तावेज जो राज्य की सरकार के अंगों के ढांचे और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है और उन अंगों के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है। संविधान का उद्देश्य नए कानूनी मानदंडों, सामाजिक दर्शन और आर्थिक मूल्यों का निर्माण करना है जो वांछित सामुदायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक हितों के बीच हड़ताली संश्लेषण, सद्भाव और मौलिक समायोजन से प्रभावित होते हैं।
भारत का संविधान एक जैविक और गतिशील सामाजिक–राजनीतिक और कानूनी लिखित दस्तावेज है जो दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के भाग्य का मार्गदर्शक है। यह सबसे कम उम्र के बुनियादी कानूनी दस्तावेजों में से एक है और सबसे बड़ा भी। यह लोगों के कल्याण के लिए एक विस्तृत एजेंडे के साथ मौलिक अधिकारों का पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण रक्षक है।

भारत के लोग पुरुष और महिला दोनों) भारत के संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और खुद को आत्मर्पित करती हैं।

भारत में, महिलाओं के पूरक दमन के साथ पुरुष वर्चस्व प्रागैतिहासिक काल से जारी है। पुरुष और महिला बच्चे के बीच, पुरुष और महिला के बीच भेदभाव किया गया है। महिलाओं को सामान और संपत्ति के रूप में माना जाता है। उन्हें इन्द्रियतृप्ति की वस्तु माना जाता है। भारत में महिलाओं के दमन का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय महिलाओं ने चुप्पी साधी है और भेदभाव झेल रही है। आत्म–बलिदान और आत्म–त्याग उनका बड़प्पन और धैर्य है और फिर भी उन्हें सभी असमानताओं, अपमानों, असमानताओं और भेदभावों के अधीन किया गया है।

भेदभाव शक्तिहीन करता है क्योंकि किसी भी रूप में भेदभाव मानवीय क्षमताओं को प्रभावित करता है। कोई भी कारक जो मानवीय क्षमता को नकारता है, उसे सशक्तिकरण के कारक के रूप में माना जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्थिति से संबंधित मामलों में भेदभाव एक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने से रोकता है।

प्राचीन काल से ही निष्पक्ष लिंग के साथ किए जाने वाले भेदभाव और असमान व्यवहार के बारे में संविधान के ढांचे अच्छी तरह से जागरूक थे। उन्होंने महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए कुछ सामान्य और साथ ही विशिष्ट प्रावधान शामिल किए। उन्हें भारत के नागरिकों के रूप में पुरुषों के समान कुछ स्थानों पर और अन्य सभी स्थानों पर स्पष्ट रूप से स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान की जाती है।

यह सच है कि भारत के मूल संविधान में अपेक्षा के अनुरूप पर्याप्त रूप से लैंगिक न्याय की चिंताओं को प्रतिबिंबित नहीं किया गया था। यह लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ प्रावधान करता है (अनुच्छेद 15 और 16) लेकिन इसने लिंग पर आधारित भेदभाव पर ध्यान नहीं दिया। महिलाओं को उनके प्रजनन कार्य के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ अधिकार देना एक दान नहीं बल्कि एक दायित्व है। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3) में कहा गया है कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यह एक संरक्षणवादी रणनीति है न कि समानता का उपाय। महिलाओं को राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें पितृसत्तात्मक शासन के तहत झेली गई बाधा को दूर करने में मदद मिल सके। चूंकि सभी मौलिक अधिकारों को केन्द्रित कर दिया गया है, इसलिए महिलाओं को समानता मिलने की कोई संभावना नहीं है।

यद्यपि भारतीय संविधान महिलाओं को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है, लेकिन भेदभाव किसी न किसी रूप में कायम है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव आज भी जारी है क्योंकि यह भारतीय समाज की परंपराओं में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है। महिलाओं के साथ भेदभाव का मूल कारण यह है कि ज्यादातर महिलाएं अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और भारतीय संविधान और कानूनी व्यवस्था के तहत उन्हें समानता की स्थिति का आश्वासन दिया गया है। प्रबुद्ध महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता लाकर अन्य महिलाओं में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए संघर्ष करना चाहिए क्योंकि वे भारतीय आबादी का आधा हिस्सा हैं।

महिलाओं के अधिकारों के लिए न्यायालय की भूमिका

जैसा कि यह एक सामान्य नियम है कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, लेकिन हाल ही में पूर्व न्यायपालिका ने एक नया आयाम या विशेषता हासिल कर ली है, लेकिन अब न्यायपालिका की अधिक व्याख्या या निष्क्रिय दर्शक नहीं है। लेकिन न्यायपालिका अब सक्रिय खिलाड़ी है, कानून में बदलाव के कारण इसने कई बहसें पैदा की हैं लेकिन यह नई भूमिका महिलाओं के लिए एक फायदा बन गई है, नए कानून में महिलाओं के पक्ष में कई फैसले और नियम या दिशानिर्देश हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक महान योगदान है। वर्तमान में, जब सरकार के दो अंग अर्थात विधायिका और न्यायपालिका कानून बनाने और लागू करने में अपनी भूमिका निभाने में विफल रहे हैं, न्यायपालिका खुद को संवैधानिक पुष्टि के रक्षक के रूप में कार्य कर रही है, इसके अलावा न्यायपालिका अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसार या उसके अनुरूप काम कर रही है।

रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समान कार्य का सिद्धांत मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक संवैधानिक लक्ष्य है। संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) में कहा गया है कि ''पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है।'' इसी तरह, गृहकल्याण बनाम भारत संघ में, यह माना गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के अर्थ के भीतर एक तर्कहीन वर्गीकरण बन जाता है। एयर इंडिया बनाम नर्गिश मिर्जा मामले में, कोर्ट ने माना कि गर्भावस्था के दौरान सेवा की समाप्ति अनुचित और मनमाना था, इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में, याचिकाकर्ता, एक गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) लैंगिक समानता के लिए काम कर रहा था, विशाखा याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों के सत्यापन की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। याचिका दायर करने का तात्कालिक कारण वर्ष 1992 में राजस्थान के एक साथिन (महिला विकास कार्यक्रमों में शामिल एक सामाजिक कार्यकर्ता) का सामूहिक बलात्कार था। ये हमला बदला लेने का एक कार्य था क्योंकि साथिन ने बाल विवाह को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया।

नूर सबा खातून बनाम मो. कासिम मामले में, माननीय न्यायालय ने माना कि हमने एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का विकल्प चुना है, कानून के तहत धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म के प्रति वफादारी नहीं रखता है और कोई राज्य धर्म नहीं है। साथ ही, मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय ने इद्दत की अवधि बढ़ा दी।जब तक महिला मुस्लिम महिलाओं को लगभग साढ़े तीन महीने की प्रथागत इद्दत अवधि से परे भरण–पोषण भत्ता की अनुमति देने के लिए पुनर्विवाह करती है।

दिलीप सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में, माननीय न्यायालय ने माना कि यदि किसी पुरुष द्वारा किसी महिला को उससे शादी करने के लिए विश्वास दिलाने के लिए सहमति दी जाती है, एक महिला से शादी करने का पुरुष का वादा 'भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के खंड (द्वितीय) के परामर्श के तहत उसकी सहमति के बिना' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, केवल अगर यह स्थापित हो जाता है कि दीक्षा से ही आदमी ने वास्तव में उससे शादी करने का इरादा नहीं किया था और वादा केवल एक धोखा था। उस बिंदु पर जब एक अभियोक्ता ने यौन प्रदर्शन में भाग लेने के लिए एक संज्ञान विकल्प लिया था, बस उसे शादी करने के आरोप की गारंटी से डर गया था और तब उसने निंदा की थी कि उसकी गारंटी उसके मूल से सच थी, जिसका उद्देश्य उसे यौन कृत्य के लिए बहकाना था।, खंड (पप) से धारा 375 भारतीय दंड संहिता। यह आकर्षित नहीं है लेकिन यह स्थापित

है। ऐसी स्थिति में जहां पुरुष ने महिला से उससे शादी करने का वादा किया था, तो आरोपी को शादी के वादे के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा, वादे के उल्लंघन के लिए वह नागरिक कानून के तहत हर्जाना के लिए उत्तरदायी होगा। शादी करने का झूठा वादा वास्तव में एक व्यक्ति को बलात्कार के लिए उत्तरदायी नहीं बना देगा यदि अभियोक्ता 16 वर्ष से अधिक उम्र का है और प्रदर्शन या कार्य के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है।

मधुकर नारायण मर्दिकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, माननीय महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने देखा कि चूंकि बानूबी एक बदचलन महिला है, इसलिए इस तरह के अपुष्ट संस्करण पर किसी सरकारी अधिकारी के भाग्य और करियर को खतरे में डालने की अनुमति देना बेहद असुरक्षित होगा। वह महिला जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी अवैध अंतरंगता का कोई रहस्य नहीं बनाती है। वह अपने जीवन के अंधेरे पक्ष को स्वीकार करने के लिए काफी ईमानदार थी। यहां तक कि आसान गुण वाली महिला भी निजता की हकदार है, कोई भी उसकी निजता पर आक्रमण नहीं कर सकता है, जब वह चाहे। इसी तरह, यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुला नहीं है कि वह जब चाहे तब उसका उल्लंघन करे। यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका उल्लंघन करने का प्रयास किया जाता है तो वह अपने व्यक्ति की रक्षा करने की हकदार है। वह समान रूप से कानून के संरक्षण की हकदार है। इसलिए, केवल इस तथ्य के प्रकाश में कि वह सरल नैतिकता और सदाचार की महिला है, उसके प्रमाण को किनारे नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

महिलाओं को अपने अस्तित्व और अस्तित्व के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनका यौन उत्पीड़न किया गया और उन्हें हर तरह के अत्याचार और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। महिलाओं के पास उनकी व्यक्तिगत पहचान के रूप में कुछ भी नहीं था। कानून और समाज ने उन्हें किसी भी तरह का व्यक्तित्व नहीं दिया।

किसी भी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति विकास के उस चरण को दर्शाती है जिस पर सभ्यता शुरू हुई और उठी। किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति वास्तव में समुदाय की सोच और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी कानूनी व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति अधिकारों, कर्त्तव्यों, देनदारियों और महिलाओं को सौंपे गए संपत्ति के अधिकार से निर्धारित होती है, वैदिक काल के बावजूद जहां महिलाओं को बाद के समय में उच्च सम्मान का स्थान दिया गया था, वे पुरुषों के अधीन हो गईं कर्मकांडों, बुतपरस्ती और ब्राह्मणवादी सिद्धांतों के लिए। विभिन्न संस्कृतियों के संशोधनों के साथ भी महिलाओं की यहीं स्थिति जारी रही। महिलाओं की स्थिति के विकास के एक घटक के रूप में, पश्चिमी सभ्यता ने भारतीयों के मन में एक द्वार खोल दिया जो आधुनिक प्रवृत्ति कुछ मूल्यों की प्राप्ति के लिए थी, जैसे कि लिंग की समानता और धर्मनिरपेक्ष परिदृश्य में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा।

संदर्भ

1. कौशिक, पी.डी. (2007), वीमेन राइट्सः एक्सेस टू जस्टिस, नई दिल्लीः बुकवेल.
2. राओ, एन.एस. (2007). डेटर्मिनेन्ट्स ऑफ जेंडर इक्विटी इन इंडिया. एल. आर. मुदुनूरी (संस्करण), वीमेन एम्पावरमेंट : चौलेंजेज एंड स्ट्रेटेजीज (पेज 263–264). नई दिल्ली य रीगल पब्लिकेशंस
3. जहान, एफ. (2004). वीमेन इन इंडिया. नई दिल्ली : अनमोल पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4. भारत का संविधान, अनुच्छेद 15(1).
5. भारत का संविधान, अनुच्छेद 15(3).
6. भारत का संविधान.
7. भारत का संविधान, अनुच्छेद 12
8. भारत का संविधान, अनुच्छेद 35
9. एआईआर 1978 एससी.597
10. मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य में न्यायमूर्ति के. रामास्वामीए [(1996)5 SCC148]
11. एआईआर 1982 एससी 879.